



# राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी -7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।  
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

द्वारा - ई.मेल  
अत्यावश्यक।


क्रमांक:पैरामेडि.कौं/परीक्षा/कन्डक्ट/2021/175

दिनांक: 19/02/2021

## —::सार्वजनिक सूचना::—

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील संख्या 5820/2020 में जारी आदेश दिनांक 08.07.2020 के परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या 12091/2020, 2479/2021, 2486/2020 में दिनांक 17.02.2021 को जारी अंतरिम आदेश की पालना के क्रम में -

1. प्रथम वर्ष की सभी डिप्लोमा परीक्षा सत्र 2018-19 एवं सभी सत्रों के रिमाण्डेड परीक्षार्थियों की परीक्षा जो 22 फरवरी 2021 से प्रस्तावित है, को दिनांक 12 मार्च, 2021 तक तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है।
2. न्यायिक प्रकरण में सम्मिलित विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज संस्थानों के माध्यम से दिनांक 22 और 23 फरवरी 2021 को कौंसिल कार्यालय में जमा कराये जायेंगे।
3. कौंसिल द्वारा उपरोक्त विद्यार्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच 24 फरवरी से 26 फरवरी 2021 तक की जायेगी।
4. नामांकन भरने की तिथि दिनांक 27 फरवरी से 01 मार्च 2021 ऑन लाईन मॉड पर, (नामांकन शुल्क 500/- रूपयें)
5. परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि 02 मार्च से 04 मार्च 2021 तक ऑन-लाईन (परीक्षा शुल्क 2000/- रूपयें)
6. सभी संस्थानों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों की मूल कॉपी कौंसिल कार्यालय में जमा करने की तिथि 05 मार्च 2021 को सांय 05 बजे तक।
7. स्थगित प्रथम वर्ष सत्र 2018-19 के साथ रिमाण्डेड परीक्षाएँ दिनांक 12 मार्च 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य दोपहर 02 से 05 बजे आयोजित की जायेगी।
8. परीक्षा की विस्तृत समय सारिणी अलग से जारी की जा रही है।

  
(उत्तम सिंह शेखावत)


आर.ए.एस.

रजिस्ट्रार

क्रमांक:पैरामेडि.कौं/परीक्षा/कन्डक्ट/2021/175

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. सलाहकार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आज ही वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. प्रधानाचार्य, समस्त पैरामेडिकल कॉलेज/संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि सूचना को कॉलेज/संस्थान के "सूचना पट्ट" पर चस्पा करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

  
रजिस्ट्रार